प्रतिवेदन

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला ....के द्वारा स्वयं की भूमिस्वामी हक की अकृषि भूमि ग्राम .... प0ह0न0 ...... रा0नि0म0 .... व तहसील .... मे स्थित ख0न0 .... रकबा क्रमशः .... हे0 अकृषि भूमि को विक्रय करने की अनुमति ; पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतू प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में विधिवत इश्तेहार का प्रकाशन कराया गया नियत समयावधि तक कोई दावा आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में वर्तमान गाइडलाइन दर अनुसार बाजार मूल्य की जानकारी उपपंजीयक लखनादौन से ली गयी। ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाकर प्रकरण में हल्का पटवारी से मौका जांच प्रतिवेदन मय दस्वावेजों सहित लिया गया । हल्का पटवारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन इस प्रकार है.

1	आवेदक की जाति किस संवर्ग अंतर्गत आती है उल्लेख किया जावे	
2	प्रश्नाधीन भूमि वैध अथवा अवैध कालोनी मे स्थित है अथवा नही। यदि वैध कालोनी मे स्थित है तो वैधानिक दस्तावेज सलग्न कराया जावेए यदि अवैध कालोनी में स्थित है तो कालोनी किस वर्ष मे निर्मित की गई स्पष्ट किया जावे। प्रश्नाधीन भूमि के यदि मूल खसरा नम्बारों से बटांक किया गया हो तो सभी बटांक नंबरों की सूची सलग्न की जावे।	
3	प्रश्नाधीन भूमि की मिसल अभिलेख वर्ष 1988 सलग्न कर स्थिति स्पष्ट किया जावे। क्या प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1959 के पूर्व कभी आदिवासी खाते मे दर्ज तो नही रही है। स्पष्ट लेख करते हुये वर्ष 1959 के पूर्व का राजस्व प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराये जावे	
4	प्रश्नाधीन भूमिध्मकान का वर्तमान गाईड लाईन दर गाईड लाईन दर अनुसार बाजार मूल्य की जानकारी उप पंजीयक से प्राप्त करते हुए सलग्न करावें तथा प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जावे	
5	ग्राम में विधिवत आपत्तियों के आमंत्रण हेतु इश्तेहार का प्रकाष्न कराते हुये नगर ध्ग्राम पंचायत की सहमति भी ली जावे	
6	आवेदक द्वारा आवेदन मे दर्शित भूमि विक्रय का उल्लेखित कारण समाधान है अथवा नही स्पष्ट किया जावे	
7	आवेदक के समक्ष मे कथन अभिलिखित करते हुये सलग्न किया जावे	

8	प्रश्नाधीन भूमि कैसे अर्जित की गई स्पष्ट किया जावे।	
9	भूमि पर किसी प्रकार का कब्जे का विवाद /किसी न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है अथवा नही स्पष्ट किया जावे ।	
10	वह प्रयोजन जिसके लिये भूमि अंतरण के पष्चात उपयोग मे लाई जायेगी या जिसके लिये उसका उपयोग किया जाना संभाव्य है ।	
11	क्या अंतरण से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियो के सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक हितो की पूर्ति होती है । या ऐसी हितों की पूर्ति होना संभाव्य है अथवा क्या वह ऐसे हितो पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है !	
12	क्या दिया जा रहा प्रतिफल पर्याप्त है । क्या किया जा रहा संव्यवहार मिथ्या बनावटी या बेनामी तो नही है ।	
13	प्रश्नाधीन भूमि कहीं बंधक तो नही है सभी बैंकों का बेबाकी प्रमाण पत्र सलग्न कराया जावे।	
14	प्रश्नाधीन भूमि का क्रेता का एग्रीमेंट एवं षपथ पत्र प्राप्त कर सलग्न किया जावे।	

प्रकरण में आवेदित भूमि विक्रय किये जाने उपरांत आवेदक के पास जीवन यापन हेतु शेष भूमि की जानकारी आवेदक एवं हल्का पटवारी से ली गयी जिसमें आवेदक .... के नाम पर ग्राम .... में निजी भूमि ख0न0 ....रकबा क्रमषः ....भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा नकल प्रस्तुत किया गया है जो की जीवन यापन हेतु शेष है। खसरा नकल प्रकरण सलग्न है। अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय .... की ओर सादर प्रेषित है-

अनुविभागीय अधिकारी | नायब तहसीलदार